

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सोहनताल बनाम रोडमल उर्फ रोडगम वगैरे

किरण मुकुंदमा - प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकुंदमा नम्बर - 34 / 2025

तारीख  
हुजूम

13-02-2025

हुजूम या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर जज

नम्बर 2 तारीख  
उपखण्ड जो हुजूम  
हुजूम की तारीख  
में जारी हुई

प्रार्थी की ओर से श्री कुमार गौरव खैरवा एडवोकेट ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 27.02.2025 को पेश हो।

( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

27.2.25

पत्रावली पेश हुई। वकलाय समय पक्षकारान, उपखण्ड अधिकारी बंरे/अन्य कार्य में व्यस्त/नोटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अस्थायी हेतु दिनांक 27.3.25 को पेश हो।

07.03.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर ~~उक्त~~ पत्रावली को इसी स्तर पर विद्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः वकील वादी के निवेदन पर उक्त ~~पत्रावली~~ <sup>पत्रावली</sup> को इसी स्तर पर विद्रा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Not Press  
Kumbhkar

